परिशिष्ट 'अ'

## विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1202(प्रश्नांश ख) जिलेवार/विकासखंडवार साम्हिक विवाह कार्यक्रम में दिनांक 31/05/2022 एवं 05/06/2022 में हितग्राहियों के पंजीयन की जानकारी

कार्यक्रम में दिनांक 31/03/2022		पंजीयन	सख्या
क्रमांक जिले का नाम		31/05/2022	05/06/2022
Should,		कोई आयोजन नहीं	कोई आयोजन नहीं
1	भोपाल	किया गया।	किया गया।
'		कोई आयोजन नहीं	कोई आयोजन न ाँ
2	रायसेन	किया गया।	, किया गया।
5		कोई आयोजन नहीं	कोई आयोजन नहीं
3	राजगढ़	किया गया।	किया गरा।
	. — ६ कि परांजी	23 कन्याओं का	कोई आयोजन नहीं
4	सीहोर (ग्राम पंचायत बिलकिसगंज)	पंजीयन किया गया।	किया ग्या।
-	विदिशा (निकाय)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0
.5	1. जनपद पंचायत विदिशा	53 कन्याओं का	
	1. 00119	पंजीयन किया गया।	32 कन्याओं का
	2. जनपद पंचायत ग्यारसपुर	0	पंजीयन किया गया।
			0
	3. जनपद पंचायत बासौदा	0	ं 30 कन्याओं का
	4. जनपद पंचायत नटेरन	. 0	पंजीयन किया गया।
	मंचामन कार्वार	48 कन्याओं का	0
	5. जनपद पंचायत कुरवाई	पंजीयन किया गया।	
	6. जनपद पंचायत सिरोंज	105 दल्याओं का	0
	0, 0,01100	पंजीयन किया गया।	
	7. जनपद पंचायत लटेरी	0	117 कन्याओं का पंजीयन किया गया।
		200	179
-	्योग	206	



## मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (संशोधित योजना 2022)

- 1. प्रस्तावना :- मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2006 में निराश्रित/निर्धन परिवार की कन्या/विधवा/ परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से योजना आरंभ की गई, जो योजना वर्तमान में 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' के नाम से सम्पूर्ण प्रदेश में संचालित है।
  - अभी तक योजना के संचालन हेतु जारी सभी दिशा-निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए प्रचलित प्रावधान एवं अब तक किये गये सभी संशोधनों को समाहित कर योजना को नवीन स्वरूप प्रदान कर 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (संशोधित योजना 2022)' के नवीन दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं।
  - 2. उद्देश्य :- इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में निवासरत् जरूरतमंद कन्याओं/विधवाओं (कल्याणी)/परित्यक्ता बहनों को उनके विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
  - 3. योजना का विस्तार :- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना नवीन स्वरूप में सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में आदेश दिनांक 22.04.2022 से प्रभावशील होगी।
  - 4. सहायता राशि :- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विवाह सम्पन्न कराने वाली प्रत्येक पात्र कन्यां/विधवा(कल्याणी)/परित्यक्ता (जिसे आगे वधू कहा गया है) को राशि रूपये 55000/- प्रति कन्या के मान से स्वीकृत किये जायेंगे, जिसमें से रूपये 11000/- की राशि वधू को अंकाउन्ट पेयी चेक (A/C Payee Cheque) एवं रूपये 38000/- की सामग्री वधू को उपहार के रूप में आयोजनकर्ता निकाय द्वारा प्रदाय की जायेगी। रूपये 6000/- सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु आयोजनकर्ता निकाय को देय होगी।
    - 5. पात्रता के मापदण्ड:-
      - 5.1.वधू/वधू के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।
      - 5.2. वधू द्वारा विवाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो। वर्तमान में कन्या के लिए विवाह करने हेतु न्यूनतम वैधानिक आयु 18 वर्ष तथा पुरूष के लिए न्यूनतम वैधानिक आयु 21 वर्ष निर्धारित है।

5.3. परित्यक्ता महिला जिनका कानूनी रुप से तलाक हो गया हो।

1 | Page

5.4.योजनांतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए हितग्राही हेतु आय का कोई बंधन नहीं रहेगा किन्तु यह आवश्यक होगा कि हितग्राही अपना विवाह निर्धारित तिथियों पर आयोजित होने वाले सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर ही सम्पन्न कराये। एकल विवाह की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

## 6. अन्य मापदण्ड:-

- 6.1. श्रम विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्या ग मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हेतु विवाह सहायता योजना को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में समाहित किया गया है। मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार क याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हितग्राहियों को भी समाणिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित मख्यात्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह में भाग लेना होगा एवं पात्रता की शर्तों को पूरा करना होगा। अब ऐसे हिता हियों के एकल विवाह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगे। ऐसे पंजीकृत श्रमिक की अधिकतम 2 पुत्रियों पर व्यय की गई राशि मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से प्राप्त की जायेगी। 2 से अधिक पुत्रियों के विवाह होने की स्थित में योजनांतर्गत सहायता राशि सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी।
  - 6.2. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्यप्रदेश की वधू के लिये है। यदि वर प्रदेश के बाहर का भी है तो उस वधू को योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। लेकिन जब वधू / वधू के अभिभावक प्रदेश के मूल निवासी नहीं हो तो योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं होगा।
    - 6.3.कन्या का पूर्व में विवाह न हुआ हो । इस मापदण्ड से आशय यह है कि वर-वधू का विवाह योजनांतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में ही सम्पन्न हो एवं ऐसा न हो कि उनके द्वारा पूर्व में एकल या किसी अन्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम द्वारा विवाह कर लिया गया हो।
      - 6.4.सामूहिक विवाह कार्यक्रम तभी आयोजित किये जायेंगे जब न्यूनतम 5 जोडों से आवेदन प्राप्त हो।
  - 7. जिला एवं निकाय स्तरीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह आयोजन समिति:-सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम का सुचारू रूप से आयोजन सुनिश्चित किये जाने हेतु जिला स्तरीय एवं निकाय स्तरीय समितियों का गठन जिला कलेक्टर

Tunth